











- ✓ संस्था को १०,३०,००,०००/- (दस करोड़ तीस लाख) से कमानी का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश शासन द्वारा कलाई लगे विधि-विधान/प्रतिनियम/सामान्य/अभिनियमों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, २०१०, संयुक्त प्रदेश पौलिस प्राविध, २०१० तथा प्राविधिक शिक्षा प्राविध, २०१० द्वारा कलाई लगे नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य्य होगा।
- ✓ विधेयक द्वा. परमेशी सद्व्यवस्था की संस्थाएं यदि वे.सी.आई. लड़े दिग्गी से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो द्वा. संस्था में समस्त उपररदायित संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्य्यवहरी के लिए संस्था स्वयं उपररदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा प्राविध, संयुक्त प्रदेश पौलिस प्राविध, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन को कोई बत टाकर किया जाता है तथा टाकर बत के संस्था में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकृति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिकृति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधेयक द्वा. परमेशी सद्व्यवस्था संघनित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश पौलिस प्राविध, द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा प्रायेक वर्ष के लिए अनुमोदित प्रदेश पौलिस हेतु कार्य्यविधिगत प्राप्त होने के पूर्व १०,३०,००,०००/- से अनुमोदन प्राप्त कर प्राविध कार्य्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हे प्रदेश की (कार्य्यविधिगत के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर ही) प्रदेश अनुमोदित नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्मित महीनारम आवास नियमों का अनुपालन करने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टारक, सार-संरज, उपकरण, प्राप्त किया जाने काय सुनक, (सामान्य सुनक) आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यालय-विद्यालय हेतु अनुमोदित व्यवस्था उपलब्ध करने के साथ शिक्षित होवने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में परराष्ट्रिय/संघनित सद्व्यवस्था को प्राप्त करने हेतु विद्यालय अभिधि के समस्त उपलब्ध कराये लगे अभियोग, भूमि-आयन, कर्मीय, उपकरण ट्रांसफरि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य सद्व्यवस्था के संसाधन में प्रयोग किया जाता है और प्राविध को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपररदा संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमोदित की जायेगी।
- ✓ संस्था के इच्छीय निर्देशक टाकर यदि संस्था में भूमि, आयन, कर्मीयसाल, उपकरण एवं अन्य सार-संरज १०,३०,००,०००/- (दस करोड़ तीस लाख) प्राविध के सम्बद्धता उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर टी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उपलब्ध किये जाने की विधि में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्य्यवहरी की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

अधि

पृ०००- प्राविधप्राविध संख्या०२०२१/३५३८-४००९

दिनांक: ०९/०८/२०२१

प्राविधिक-

संसाधन/प्राविधिक, TAHIRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, GORAKHPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव